न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

अपील न0पा0 06/14 तारीख रजू– 09/10/2014

1– हरिशंकर शर्मा पुत्र श्री कल्याण प्रसाद शर्मा
2– श्रीमति शकुन्तला शर्मा पत्नि श्री हरिशंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण जामा मस्जिद के पास वार्ड नं0 10 पत्तल दोना वाली गली गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर –––अपीलार्थीगण

बनाम

1– प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद् गंगापुर सिटी ।
2– आशीष आर्य पुत्र श्री हुकमचन्द आर्य जाति महाजन निवासी धी वाली गली व्यास पाड़ा वार्ड नं0 11 गंगापुर सिटी
3– मनीष आर्य पुत्र श्री हुकमचन्द आर्य जाति महाजन निवासी धी वाली गली व्यास पाड़ा वार्ड नं0 11 गंगापुर सिटी । ––––– रेस्पोडेण्टस

निर्णय दिनांक– 21/12/16

अपीलार्थीगण ने यह अपील प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र पर आराजी खसरा नं0 1219/154 रकबा 36 एयर वाके ग्राम मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी की भूमि को 90 ए में तब्दील किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पों0 जरिये वकील उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि आराजी खं0नं0 1219/154 रकबा 36 एयर भूमि अपीलान्ट नं0 1 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। इससे रेस्पों0 का कोई संबंध व वास्ता नहीं है। अपीलान्ट उक्त वाद आराजीयात का खातेदार एवं स्वामी है तथा अपीलान्ट उक्त आदेश से व्यथित हैं। प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया हैं। जबकि एक्ट के अनुसार खातेदार को जरिये रजिस्ट्री सूचना दी जानी थी। नगर परिषद् द्वारा 90ए की कार्यवाही करवाने से पूर्व समाचार पत्र में 90ए की लोक सूचना प्रकाशित करवानी चाहिए थी। जो नगर परिषद् द्वारा नहीं करवाई गई है। जबकि उक्त वाद आराजीयात नगर परिषद् क्षेत्र गंगापुर सिटी में होने पर तहसील हिण्डौन के पेपर में ज्ञापन करवाया है। इस प्रकार नगर परिषद् द्वारा 90ए की समस्त कार्यवाही अवैध रूप से की गई है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा की गई 90ए की कार्यवाही खारिज करवाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया है कि अदालत मातहत द्वारा की गई 90ए की कार्यवाही नियमानुसार की गई है। नगर परिषद् को खातेदारी अधिकार समाप्त करने के अधिकार हैं। अदालत मातहत द्वारा उक्त कार्यवाही करने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये थे। वकील अपीलान्ट का यह तर्क देना भी गलत है कि गंगापुर सिटी के सामाचार पत्र में ज्ञापन न देकर हिण्डौन के समाचार पत्र में ज्ञापन दिया गया है। प्रकाशित समाचार पत्र लोकल नहीं होते है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सम्पूर्ण राजस्थान में वितरीत होते है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा की गई 90ए की कार्यवाही यथावत रखी जावे।

उभय पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा नगर परिषद गंगापुरसिटी की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के अनुसार ग्राम मिर्जापुर में स्थित भूमि खं0नं0 1219/154 रकबा 0.36 है0 नामा0 सं0 645 दिनांक 23/09/2014 रूपान्तरण से नगर परिषद् गंगापुर सिटी (धारा 90 क के तहत) के नाम स्वीकार हुआ है। अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा एक इकरार नामा शपथ पत्र दिनांक 13/05/2013 को उक्त वाद आराजीयात 92,00,000 रूपये में विकय हेतु लिखा गया था एवं दिनांक 13/05/2013 को ही एक विकय इकरार शपथ पत्र उक्त वाद आराजीयात का ही 27,50,000 रूपये मे बेचान हेतु लिखा गया था। दोनों शपथ पत्र एक ही दिन के एक ही वाद आराजीयात के पृथक–पृथक रूपयें के बेचान के पेश किये है जो सेन्देहप्रद प्रतीत होता है ,साथ ही राजस्थान नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्रांक प.3(90)नविनि/3/2012 दिनांक 21/06/2016 के नियम 27 के अनुसार 90 ए की कार्यवाही करवाने से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश की एक प्रति संबंधित खातेदार , जिसके अधिकार समाप्त किये गये है , को भी रजिस्टर्ड डाक भेजी जानी चाहिए थी। लेकिन अदालत मातहत द्वारा खातेदार का कोई सूचना रजिस्टर्ड डाक से नहीं भिजवाई गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी में स्थित भूमि खं0नं0 1219/154 रकबा 36 एयर पर की गई 90 ए की समस्त कार्यवाही आदेश निरस्त किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 21/12/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह दवेल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर